वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ–देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,
राकेश वर्मा .....सदस्य,

द्वितीय अपील संख्याः 33 / 2025 (वर्ष 2017–18 धारा 9(2))

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

बनाम

सर्वश्री एस0वी0पी0 लाइफ साईन्सेस, सारा इ0 एरिया, सेलाकुई देहरूदन ।

अपीलार्थी की ओर सेः श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....राज्य–प्रतिनिधि।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री सुरेश चन्द्र चौरसिया..... अधिवक्ता।

–: निर्णय :–

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष

प्रस्तुत अपील विद्वान संयुक्त आयुक्त अपील के द्वारा प्रथम अपील संख्या 314 / 2024 (2017–18) में पारित निर्णय दिनांक 16 / 01 / 2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यार्थी एस0वी0पी0 लाइफ साईन्सेस विभाग में पंजीकृत हैं, तथा मेडिसन का व्यापार करता है। वर्ष 2017–18 के केंद्रीय कर निर्धारण एक पक्षीय रूप से फर्म के विरूद्ध करते हुए विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता की बिक्री रु0 7,00,00,000 / – मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से रु0 35,00,000 / – कर आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रत्यार्थी / करदाता द्वारा प्रथम अपील दायर की गयी, जिसमें करदाता की बिक्री स्वीकार करते हुए रु0 14,75,203 / – कर आरोपित किया गया तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय वाद से रु0 13,75,708 / – आईटीसी कैरी फॉरवर्ड किया गया तथा अपील दाखिल करते समय रु0 1,30,914 / – व्यापारी द्वारा जमा किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 15,06,422 / – का लाभ देने के उपरांत शेष बची अधिक आईटीसी रु0 31,219 / – नियमानुसार करदाता को वापस करने हेतु आदेशित किया गया । प्रथम अपील में पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि माल एवं सेवा कर प्रणाली के प्रर्वत होने के उपरांत स्टॉक में अवशेष वस्तु से संबंधित आईटीसी प्राप्त करने हेतु जीएसटी अधिनियम की धारा 140 एवं नियम 117 में

व्यवस्था की गयी है कि जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती वैट अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की गयी अंतिम विवरणी में अग्रसारित की गयी आईटीसी की धनराशि को इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने का हकदार होगा तथा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत आईटीसी को क्लेम करने का अधिकारी है, उसके द्वारा अनिवार्य रूप से फार्म ट्रॉन–1 भरा जाएगा। जिसके अनुपस्थिति में अग्रसारित की गयी आईटीसी को लैप्स माना जाएगा। कथन किया गया कि बची हुई आईटीसी व्यापारी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसने जीएसटी के उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामले में विद्वान राज्य प्रतिनिधि का यह तर्क है कि संबंधित वर्ष में वैट अधिनियम समाप्त होने पर तथा जीएसटी लागू होने के उपरांत बची हुई आईटीसी को जीएसटी अधिनियम में दिए गए ट्राजिक्शनल प्रावधान के अनुसार ही अग्रसारित किया जा सकता था तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा बची हुई आईटीसी को व्यापारी को वापस करने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया कि विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जिस धनराशि को वापस करने का आदेश दिया गया है, वह अवशेष आईटीसी नहीं है, बल्कि व्यापारी द्वारा चालान से जमा की गयी धनराशि है। यहां उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उक्त त्रुटि को संशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12/09/2025 से यह स्पष्ट किया गया कि धनराशि रु0 31,219/– जिसे व्यापारी को वापस करने हेतु आदेशित किया गया, आईटीसी नहीं है, बल्कि व्यापारी द्वारा चालान से जमा की गई धनराशि है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि व्यापारी पर संबंधित वर्ष में रु0 14,75,203/– कर आरोपित किया गया था तथा संगत वर्ष के प्रांतीय वाद से रु0 13,75,708/– आईटीसी कैरी फॉरवर्ड किया गया, इसके अतिरिक्त करदाता के द्वारा अपील दायर करते समय रु0 1,30,914/– जमा किये गये थे। कुल मिलाकर व्यापारी को रु0 15,06,482/– का लाभ दिया गया, जिसे आरोपित कर में, समायोजित करने के उपरांत रु0 31,219/– व्यापारी को वापसी हेतु आदेशित किया गया।

उक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 16/01/2025 में धरराशि रु0 31,219/– को त्रुटिवश आईटीसी उल्लिखित किया गया था, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 30 के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 12/09/2025 से संशोधित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि

रु0 31,219/– आईटीसी नहीं है, बल्कि करदाता द्वारा चालान के माध्यम से जमा की गयी धनराशि है, जिसे करदाता वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर हमारा मत है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16/01/2025 में कोई त्रुटि नहीं है। यह द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 16/01/2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 33/2025 (2017–18 केंद्रीय वाद) आयुक्त–कर, उत्तराखण्ड बनाम सर्वश्री एस0वी0पी0 लाइफ साईन्सेस, निरस्त की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 16/01/2025 पुष्ट की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः– 18फरवरी, 2026

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/